



# HAMIRPUR POLICE



## METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर नाबालिग का अपहरण व दुष्कर्म के अभियोग में अभियुक्त को 20 वर्ष का कठोर कारावास व 9,000/- रूपये के अर्थदंड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा० न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु०अ०सं०- 45/2016 धारा- 363,366,376डी,344,506 भा०द०सं० व 06 पॉक्सो एक्ट में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा० न्यायालय विशेष पॉक्सो एक्ट कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त जगदीश पुत्र दयाराम निवासी ग्राम सूपा थाना चरखारी जनपद महोबा को दोषसिद्ध करते हुए 20 वर्ष का कठोर कारावास व ₹9,000 के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-  
अवधनरेश चन्देल



विवेचक-  
उ०नि० पुरुषोत्तम  
नारायण तिवारी



पैरोकार- थाना राठ  
का० प्रदीप भार्गव